कार्यालय
संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा, रायपुर)
दूरभाष कमांक 0771–4240278, ई–मेल– jdeduraipur@gmail.com

कमांक / विभागीय मान्यता / आर–0013 / 2021 / 226 रायपुर, दिनांक 22 JUN 2021

प्रति,

प्रबंधक / अध्यक्ष,
होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर जिला–रायपुर(छ.ग.) पं.क्र. 12896
द ग्रेट इण्डिया स्कूल, सांईनाथपुरम गोढ़ी जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये ,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) तथा छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता में दिये गए प्रावधान के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र ।

संदर्भ :– जिला शिक्षा अधिकारी जिला–रायपुर (छ.ग.) के ज्ञाप कमांक / विभागीय मान्यता / 5229 दिनांक 16.06.2021

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 18.01.2021 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर(छ.ग.) के अनुशंसा उपरांत, मैं , द ग्रेट इण्डिया स्कूल, सांईनाथपुरम गोढ़ी जिला–रायपुर (छ.ग.) विद्यालय का नाम पता सहित) का तारीख 2021–22 से 2023–24 तक 03 वर्षो की अवधि के लिए, कक्षा नर्सरी एवं कक्षा पहली से कक्षा बारहवीं (माध्यम–अंग्रेजी) तक के लिए सशर्त अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये ,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता होगी । जिसकी शर्ते निम्नानुसार होंगी।

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता / संवंध्दन करने के लिए कोई बाध्यता विविक्षित नहीं है ।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम , 2009 (परिशिष्ट–दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा । परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा ।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।
6. विद्यालय, किसी वच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी वच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक , किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

(दो) किसी भी वच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ।

(पांच) अधिनियम के उपवंधों के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।